



प्रेस नोट - कार्यालय पुलिस अधीक्षक- जनपद महाराजगंज

जनपद महाराजगंज पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य का विवरण-दिनांक 04.09.2024

1. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाड़ियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ***288*** वाहनों का चालान किया गया।

2. शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- ***31*** व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-170 वीएनएस मे गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

3. "मिशन शक्ति अभियान" के तहत नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के प्रति बालिकाओं/महिलाओं में सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से महाराजगंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं/बालिकाओं को किया गया जागरूक।

4. पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपदीय पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बों में स्थित बैंक, एटीएम, ग्राहक सेवा केन्द्रों एवं अन्य वित्तीय प्रतिष्ठानों आदि के सुरक्षार्थ सघन चेकिंग अभियान चलाकर आस-पास खड़े संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग की गई। नागरिकों एवं आम जनमानस से संवाद स्थापित कर प्रमुख चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया, जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

जनपदीय पुलिस द्वारा 34 एक्ट मे ***50*** व्यक्तियों के विरुद्ध व 110 जी मे ***00*** व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

5. पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों द्वारा जनपद मे शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु **संभ्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरुओं, जनप्रतिनिधियों, कास्तकारों, किसानों** के साथ थानों में शान्ति समिति की बैठकें कर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने एवं अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गयी।

6* . विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- ***13*** विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

7* जनपद के थानों द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

थाना सिन्दुरिया द्वारा की गयी कार्यवाही- 1. अभियुक्त रमेश चौधरी पुत्र जसवन्त निवासी नन्दाभार थाना सिन्दुरिया महाराजगंज उम्र करीब 41 वर्ष के विरुद्ध गुण्डा एक्ट कार्यवाही करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- निल/24 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना सौनोली द्वारा की गयी कार्यवाही- 1. नाम पता अज्ञात लवारिश में 76 बोरी चीनी व 41 बण्डल कपड़ा बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-निल/24 धारा ,113 कस्टम अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी । व 2. लवारिश में 06 बोरी भारतीय यूरिया खाद बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-निल/24 धारा,113 कस्टम अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

थाना नौतनवां द्वारा की गयी कार्यवाही- 1. नाम पता अज्ञात लवारिश में 09 बोरी भारतीय यूरिया खाद व 01 अदद मो0सा0 व 01 अदद रियलमी मोबाइल फोन बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0,निल/24 धारा,113 कस्टम अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

थाना कोठीभार द्वारा की गयी कार्यवाही- 1. अभियुक्त राजा बाबू पुत्र शम्भू प्रसाद चन्द्रवंशी निवासी पुरानी गुदरी नया बाजार बेतिया वार्ड नं0-09 थाना कालीबाग गोपी उम्र करीब 31 वर्ष जिला पश्चिमी चम्पारण राज्य बिहार के पास से 42 पाउच अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय मु0अ0सं0-317/24 धारा,60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

08. जनपद में 03/04-09-2024 को विभिन्न अपराधों में कुल- ***32*** अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ।